

25/3/21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलारथ।
अधिवक्ता अपीलारथ ने अप-दोष निवेदन
किया कि मधीनस्थ न्यायालय के लिये
विचारणीय मूल बातें निर्दिष्ट हो गयी
हैं। इसलिए आवेदन की तफ़ील को वेचल
कराया जावे। अपीलार अधिवक्ता के
आवेदन को स्वीकार करते हुए तफ़ील
अपीलार सादर हो लेखारी की जारी
है। पत्रावली बंद हो ले कर है। आवेदन
को इजलास सुनाया गया।



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर